

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

डॉ. सूरज सिंह नेगी

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

12.01.2024

मिसल नम्बर

121/2023 प्रा.पत्र/2023

तारीख दायरा

06.11.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री विष्णु कुमार शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा निवासी गुर्जरों का मोहल्ला पुराने  
बैंक ऑफ बडौदा के पीछे निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स विष्णु जनरल स्टोर गुर्जर  
मोहल्ला पुराने बैंक ऑफ बडौदा के पीछे निवाई जिला टोंक। पिनकोड-304021  
मोबाईल नं. 9251603131

2-मैसर्स विष्णु जनरल स्टोर गुर्जर मोहल्ला पुराने बैंक ऑफ बडौदा के पीछे निवाई जिला  
टोंक। पिनकोड-304021

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की  
उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी स्वयं उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 12.01.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
दिनांक 23.05.2023 को समय 02:30 पीएम पर मैसर्स विष्णु जनरल स्टोर गुर्जर मोहल्ला  
पुराने बैंक ऑफ बडौदा के पीछे निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री विष्णु कुमार  
शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने  
पर श्री विष्णु कुमार शर्मा ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य  
अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि  
प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ प्लास्टिक के कट्टे में  
लगभग 160 मूल पॉली पैक पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 325-325 ग्राम पैक नमकीन  
(जम-जम रॉयल मिक्सर ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम  
2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री  
विष्णु कुमार शर्मा को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित  
कर प्रतियों में विक्रेता श्री विष्णु कुमार शर्मा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने  
स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर



1795

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

विक्रेता को बताकर कि यह नमकीन (जम-जम रॉयल मिक्सर ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर एसएसडीएन 1 एल एवं पैकिंग की दिनांक 20.04.2023 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 325-325 ग्राम के 8 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा नमकीन (जम-जम रॉयल मिक्सर ब्राण्ड) 325-325 ग्राम के 8 मूल पैक को ज्यों का त्यों कागज के गत्ते के चार डिब्बों में प्रत्येक में 2-2 नग रखकर डिब्बों के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाइट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3640 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3640 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री विष्णु कुमार शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक ने विक्रेता को वारन्टी बिल हेतु पत्र प्रेषित किए परन्तु विक्रेता ने कोई खरीद बिल पेश नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/613 दिनांक 26.6.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2168/एक्ट/2023/2160 दिनांक 09.06.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया नमकीन (जम-जम रॉयल मिक्सर ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। निर्माता फर्म से क्रय करके उसी अवस्था में विक्रेता को सौंपा था। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।



पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस नमकीन (जम-जम रॉयल मिक्सर ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया नमकीन (जम-जम रॉयल मिक्सर ब्राण्ड) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 18000/- (अक्षरे अठारह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 12.01.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(डॉ. सुरज सिंह नेगी)  
न्याय प्रणियम अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0